न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 102/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/290

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1.रतनसिंह पुत्र वचनाजी
2.शंकरसिंह पुत्र केसाजी
3. भंवरसिंह पुत्र केसाजी
4. दामोदरसिंह पुत्र केसाजी
5. बाबूसिंह पुत्र केसाजी
जाति पुरोहित
निवासी–खेतेश्वर,ब्रह्मधाम तीर्थ, आसोतरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1.मंगला पुत्र फुआ के वारिसान्
1/1. सीतादेवी बेवा मंगला
1/2. मांगीलाल पुत्र मंगला
1/3. पुखराज पुत्र मंगला
1/4.गौतम पुत्र मंगला
1/5. चंदनसिंह पुत्र मंगला जाति पुरोहित
निवासी खेतेश्वर, ब्रह्मधाम तीर्थ,आसोतरा
2.छोगा पुत्र फुआ जाति पुरोहित
3.करना पुत्र प्रतापजी के वारिसान्
3/1.पार्वतिदेवी बेवा करनाजी
3/2.जबरसिंह पुत्र करनाजी,जाति पुरोहित
निवासी खेतेश्वर, ब्रह्मधाम तीर्थ, आसोतरा
3/3.हविया पुत्री करनाजी पत्नि लालसिंह जाति पुरोहित निवासी गुड़ानाल तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3/4.शायरों पुत्री करनाजी पत्नि वगतावरसिंह जाति पुरोहित
निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा
3/5.चंदा पुत्री करनाजी पत्नि हनुमानसिंह जाति पुरोहित निवासी जागसा
तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा
4.गोमती पुत्री सवजी बेवा केसाजी पुरोहित
(फौत विलोपित नाम)
5.वगताजी पुत्र सवजी
6.कानसिंह पुत्र सवजी
7.अर्जुनसिंह पुत्र सवजी
8.बादली बेवा सवजी जाति पुरोहित
निवासी खेतेश्वर, ब्रह्मधाम तीर्थ, आसोतरा
(फौत विलोपित नाम)
9.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा
10.[illegible]लसिंह पुत्र जवाहरसिंह
जाति [illegible] निवासी बालोतरा तहसील
पचपदरा व जिला बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-

1.श्री सुनील के. मेराजा अधिवक्ता वादीगण

2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01/1 से 1/5 व 10

3.प्रतिवादी संख्या 02 व 3 एवं 5 से 7 एकतरफा

4.प्रतिवादी संख्या 09 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 06-9-2024

1. संक्षिप्त में वाद–पत्र के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 08 एक ही कुटुम्ब परिवार के सदस्य है। मुतवफी प्रतापजी के चार पुत्र केसाजी,संवजी, वचनाजी व करना है,जिसके वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 से 08 है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 से 08 के मुतवफी प्रतापजी की खुदकाश्त भूमि ग्राम श्री खेतेश्वर ब्रहमधाम की खेत खसरा संख्या 393 रकबा 06.17 बीघा व खसरा संख्या 396 रकबा 05 विस्वा भूमि अवस्थित थी। जिस पर वक्त सेटलमेंन्ट पुर्व से प्रतापजी का कब्जा काश्त था और वक्त सेटलमेंन्ट के समय विवादित भूमि प्रतापजी के नाम दर्ज होने के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियो से सांठ–गांठ एवं मिलिभगत कर अपने नाम भूमि इन्द्राज करवा दी,जबकि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा–काश्त नहीं रहा। अतः वादीगण वादग्रस्त भूमि खेत खसरा संख्या 393 रकबा 06.17 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 835/393) भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 1.09 बीघा भूमि की गलत प्रविष्टि हटाते हुए वादी संख्या 2 से 5 के नाम खातेदारी घोषित करवाने व प्रतिवादी मंगला द्वारा दौराने विचाराधीन वाद वादग्रस्त आराजी बेचान प्रतिवादी संख्या 10 को वादीगण के हक हकूक प्राप्ति के लिए बेचानपत्र को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावें तथा खसरा संख्या 396 (वर्तमान खसरा नम्बर 906/396) रकबा 5 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की प्रविष्टि को हटाते हुए 1/4 हिस्सा वादी संख्या 1 के नाम, 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 से 5 के नाम व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के वारिशान के नाम एंव 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के नाम खातेदारी घोषित करवाने व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद पेश किया गया है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त [illegible] संख्या 1 से 8 की ओर से पृथक–पृथक अधिवक्ताओ द्वा[illegible] संख्या 1 व 2 अधिवक्ताओं की ओर से वाद[illegible]कार करते हुए जवाबदावा पेश कर जाहिर किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से [illegible] एक ही कुटुम्ब के सदस्य नही है तथा वादीगण का मौके पर कोई कब्जा रहवास या ढाणी नही है एवं भू–प्रबन्ध अधिकारियों से मिलावट करने के कथन सरासर गलत है। विकल्प में वादीगण या उनके हक पूर्वाधिकारीयों ने ऐसा कोई एतराज सेटलमेट ऑपरेशन के बाद निर्धारित समयावधि में पेश नहीं किया,साथ ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 393 प्रतिवादी संख्या 1 (मंगला) व 02 (छोगा) के निस्फ–निस्फ हिस्से अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से में 3 बीघा 9 बिस्वा और प्रतिवादी संख्या 02 के हक–हिस्से में 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि थी। छोगा ने अपने पूरे 1/2 हिस्से की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को बेचान कर दी शेष 1/2 हिस्से की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 (मंगला) ने 3 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि में से 02 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को जरिए रजिस्ट्री बेचान कर दी,तथाकथित टांके,बाड़े रास्ता प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा खसरा नम्बर 393 की खरीदशुदा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि में स्थित है,जिसमें रास्ता है एवं रास्ते का उपयोग सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 भी करता रहा है। तथाकथित दिनांक 01.02.2006 का कोई ईकरारनामा प्रतिवादी संख्या 1 (मंगला) ने निष्पादित नही किया और न ऐसे किसी ईकरारनामा पर प्रतिवादी संख्या 1 का अंगुष्ठ निशान ही है किसी लिखत दिनांक 20.11.1974 का कोई ज्ञान प्रतिवादी संख्या 1 को नही हैं,यदि ऐसी कोई लिखत या लिखतम होता तो वादीगण अन्दर म्याद उसकी विनिदिष्ट अनुबंध पालना सक्षम सिविल न्यायालय से अवश्य ही करवाते। किसी दूसरी जगह के बिजली कनेक्शन से वादीगण को कोई हक या अधिकार उत्पन्न नही होते है। प्रतापजी का कोई कब्जा ढाणी रहवास वादग्रस्त आराजी पर नहीं रहा और सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलती के कथन पूर्णतया बनावटी व झूठे है। इसके अतिरिक्त वादीगण के द्वारा भू–प्रबन्ध ऑपरेशन के बाद कोई कानूनी चाराजोही भी अन्दर मयाद नही की गई,साथ ही मृतक केसा के वारिशान वादीगण वसना को या अन्य किसी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा देखने का काम नही पड़ा। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

3. **प्रतिवादी** संख्या 3 से 8 द्वारा भी वाद–पत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनो की ताईद करते हुए अंकन किया, कि वादग्रस्त भूमि का गलत अभिलेख के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी को हमेशा सुधार करने का आश्वासन देते रहे व अब जमीनो के भाव अत्यधिक बढ जाने के कारण उक्त प्रतिवादीगण अपनी नियत बदलकर पिढियों से खसरा नम्बर 396 में निर्मित हमारी ढाणीयो में बने पीढियों पुराने मकानात को नष्ट कर हमें बेदखल करने पर आमादा है,जबकि उक्त रास्ता व खसरा नम्बर 396 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नही है। फलस्वरूप खसरा नम्बर 396 में वाद के अनुरूप दुरस्ती की जानी अति आवश्यक है व खसरा नम्बर 393 के सन्दर्भ में पूर्व में भी कई बार पंचायती हुई एवं उक्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम उक्त खसरा नम्बर 393 की गलत प्रविष्टि की दुरस्ती की उक्त पंचायतीयों में लिखा–पढी व आपसी समझाईश भी हुई। मगर उक्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हमेंशा मुकरते गये एवं जोर जबरन खसरा नम्बर 393 की सम्पूर्ण भूमि से केसाजी के खानदान को जबरन बेदखल करने पर आमादा है जबकि उक्त दोनो खसरान की वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के [illegible] अभिलेख में गलत प्रविष्टि अंकित होने से उनको कोई हक व अधिकार हासिल नही होते है अतः वाद–पत्र की इस्तदुआ अनुसार डिकी जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

4. उक्त प्रकरण के विचारण के दौरान किये बेचान से प्रकरण में **प्रतिवादी संख्या 10** के रूप में संयोजित भोपालसिंह द्वारा संशोधित वाद–पत्र का जवाबदावा पेश कर जाहिर किया कि खसरा सख्या 393 (835/393) सरहद मौजा ब्रह्मधाम खेतेश्वर आसोतरा, प्रतापजी की खुदकाश्त की

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि होने के कथन गलत है,क्योंकि पूर्व गांव आसोतरा खालसा गांव था। जिसमें कभी भी जागीर प्रथा कायम नही हुई. कृषि भूमि के सम्बन्ध में तथाकथित वेग एवं अस्पष्ट पारिवारिक बंटवाड़ा बिना भूमिधारक के लिखित सहमति के शून्य होता है। प्रतिवादी सं 1 व 2 उक्त आराजी खसरा नम्बर 393 के वक्त प्रथम भू–प्रबंध एवं बाद के द्वितीय भू–प्रबन्ध से लगातार काबिज खातेदार रहे है। लिखित व मौखिक ईकरारनामा वेग एवं अस्पष्ट कथन है। अदालत के तथाकथित यथास्थिति के आदेश के विरूद्ध निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। विक्रय विलेख बहक प्रतिवादी संख्या 10 सप्रतिफल पंजीकृत विक्रय विलेख है। विधि के अन्तर्गत कोई भी पंजीकृत विक्रय विलेख शून्य एवं प्रभावहीन नहीं होता हैं,इसलिए संशोधित वाद–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

5. वादीगण एवं प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत होने के पश्चात उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.10.2022 को निर्णय पारित कर वादीगण का वाद खारिज किया गया। उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी,बाड़मेर के समक्ष अपील संख्या 125/2022 पेश की गई,जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2023 को अपील आंशिक स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण न्यायालय हाजा को इस दिशा–निर्देश के साथ कि वादीगण को साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर वाद–पत्र के समर्थन में पूर्व पेश गवाह पी.डब्लू–1 से पी.डब्लू–3 तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 17 व ईकरारनामा दिनांक 01.02.2006 का अध्ययन अवलोकन करते हुए तनकीयात का विधि सम्मत निष्कर्ष देते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

6. माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने पर वादीगण द्वारा नवीन दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये एवं पुनः मजीद गवाह के क्रम में दस्तावेजात को प्रदर्शित करने के क्रम में मजीद गवाह पी.डब्लू–1 के रूप में गवाह दामोदरसिंह व मजीद गवाह पी.डब्लू–2 जीवराजसिंह को परीक्षित करवाया गया। जिस पर वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र व ईकरारनामा दिनांक 01.02.2006 के अनुसरण में किये गये दस्तावेजात के क्रम में दस्तावेजात प्रदर्श 18 से 35 पेश कर प्रदर्श मार्क करवाये गये। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के गवाहान् से जिरह पश्चात अपने पक्ष के समर्थन में गवाह डी.डब्लू–2 के रूप में मांगीलाल का साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिससे वादीगण द्वारा जिरह कर प्रतिवादीगण की साक्ष्य पूर्ण की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

7. वादीगण के वाद–पत्र व प्रतिवादीगण के जवाबदा... पर पूर्व कायम तनकीयात को ही कायम रखी गई,जो निम्न है –

   1. आया वादीगण राजस्व अभिलेख मौजा धारेश्वर तीर्थ धाम के खसरा संख्या 835/393 में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाकर वादीगण संख्या 2 से 5 के नाम घोषित करवाने के अधिकारी है ?

जिम्मे–वादीगण

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2. आया वादीगण आराजी खसरा संख्या 396 रकबा 5 बिस्वा मौजा खेतेश्वर तीर्थ धाम के अभिलेख से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम हटाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के नाम घोषित कराने के अधिकारी है ?

जिम्मे–वादीगण

3. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ? **जिम्मे–वादीगण**

4. आया वादपत्र वादी भू–प्रबन्ध ऑपरेशन के पश्चात् निर्धारित अवधि में पेश नहीं होने से अन्दर मयाद नहीं है?

जिम्मे–प्रतिवादी

5. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किये गये बेचानों से भिन्न अन्य कोई कथन करने से विबंधित है?

जिम्मे–प्रतिवादी

6. आया तथाकथित बिना तारीख का बंटवाड़ा भूमिधारक की लिखित सहमति के बिना शून्य है?

जिम्मे–प्रतिवादी

7. आया समुचित वादकरण गठित होने के तथ्यों के अभाव में वादपत्र वादीगण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में रिजेक्ट करने योग्य है ?

जिम्म–प्रतिवादी

8. आया तथाकथित इकरारनामा दिनांक 01.02.2006 साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य नहीं है और न किसी भी उददेश्य के लिखा पढ़ा जा सकता है ?

जिम्मे–प्रतिवादी

9. आया तथाकथित अपंजीकृत इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित नहीं है?

जिम्मे–प्रतिवादी

10. अन्य दादरसी ?

8. उक्त तनकीयात को साबित करने हेतु वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 व 10 द्वारा अपने गवाह पेश किए गए। जिसके क्रम में वादीगण गवाहान साक्ष्य में पी.डब्लू–1 दामोदरसिंह,पी.डब्लू–2 खीमसिंह पी.डब्लू–3 गुणेशाराम,मजीद गवाहान के रूप में मजीद पी.डब्लू–1 दामोदरसिंह व मजीद पी.डब्लू–2 जीवराजसिंह द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ–पत्र पेश कर परीक्षित करवाये गये। जिन्होने दौराने बयान दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श –1 ग्राम श्री खेतेश्वर ब्रहमधाम तीर्थ की खसरा संख्या 834/393 जमाबंदी संवत् 2065 से 2068,प्रदर्श–2 इसी ग्राम की खेत खसरा संख्या 835/393 जमाबंदी संवत् 2065 से 2068. प्रदर्श –3 ग्राम आसोतरा की जमाबंदी संवत 2024 प्रति. प्रदर्श–4 श्री खेतश्वर ब्रहामधाम तीर्थ की खसरा संख्या 396,644 की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068, प्रदर्श–5 उक्त खसरान की नक्शा ट्रेस प्रति,प्रदर्श –6 रतनसिंह पुत्र विशनसिंह के नाम जारी विद्युत कनेक्शन बिल प्रति, प्रदर्श–7 अर्जुनसिंह पुत्र शिवसिंह राजपुरोहित [illegible] नाम जारी विधुत संबध हेतु दिये आवेदन की प्रति प्रदर्श–8 अर्जुनसिंह पुत्र शिवसिंह [illegible] के नाम जारी डिमाड रसीद, प्रदर्श –9 अर्जुनसिंह पुत्र शिवसिंह राजपुरोहित को [illegible] माह अक्टुम्बर 2002 के विद्युत बिल प्रति,प्रदर्श–10 जबरसिंह पुत्र करणसिंह के नाम जारी विद्युत बिल, प्रदर्श–11 जबरसिंह पुत्र करणसिंह आसोतरा के नाम जारी माह जून 2004 के विद्युत बिल प्रति. प्रदर्श–12 प्रतिवादी सं 1 द्वारा भोपालसिंह के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2010, प्रदर्श–13 दिनांक 20.11.1974 को पंचायती में प्रतिवादी मंगला व छोगा द्वारा निष्पादित समझोता–पत्र,प्रदर्श –14

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पूर्व बन्दोबस्त के खसरा नम्बर 893 की जमाबंदी, प्रदर्श–15 मूल बंन्दोबस्त के समय कायम खसरा नम्बर 393 की सम्वत 2029 की जमाबंदी, प्रदर्श –16 खसरा नम्बर 393, 394, 395 व 396 की के खसरा बन्दोबस्त की . प्रति, प्रदर्श –17 खसरा नम्बर 892 व 892 की गिरदावरी सम्वत 2018–19 की .प्रति.,प्रदर्श–18 न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.06.2009 को मौका रिपोर्ट हेतु अधिवक्ता को प्रेषित–पत्र प्रति, प्रदर्श–19 मौका निरीक्षण रिपोर्ट मय फोटो दिनांक 17.06.2009, प्रदर्श–20 नकल राजस्व आवेदन संख्या 54 / 2009 अनवान रतनसिंह बनाम मंगला आदेशिका दिनांक 11.06.2009 से 14.09.2010 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–21 राजस्व आवेदन संख्या 54 / 2009 अनवान रतनसिंह वगैरा बनाम मंगला वगैरा में दिनांक 14.09.2010 को स्थगन आदेश कन्फर्म किया गया,जिसके आदेश की प्रति,प्रदर्श–22 माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर–जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 53 / 2010 अनवान मंगलाराम बनाम रतनसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.06.2011 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–23 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में पेश निगरानी / अपील संख्या 4092 / 2011 अनवान मंगलाराम बनाम रतनसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 13.10.2022 की प्रति, प्रदर्श–24 माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बालोतरा द्वारा दीवानी मूल वाद संख्या 26 / 2013 (50 / 2013) अनवान बाबूसिह वगैरा बनाम मंगला के का.मु. वगैरा में निर्णय दिनांक 16.09.2022 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–25 उक्त निर्णय में पारित डिक्री पर्चा की प्रति, प्रदर्श–26 दिनांक 20.11.1974 को प्रतिवादी सं 1 व 2 द्वारा वादी के पूर्वज केसाजी के पक्ष में निष्पादित समझोता–पत्र प्रदर्श–13 का हिन्दी रूपान्तरण,प्रदर्श–27 नकल लेख–पत्र खातेदारी भूमि हकर्तकनामा, जो उपपंजीयक पचपदरा में दिनांक 18.04.1995 को पंजीबद्ध किया गया, प्रदर्श–28 नकल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविलि प्रथम अपील संख्या 450 / 2022 अनवान बाबूसिंह वगैरा बनाम मंगला के विधिक वारिसान में पारित आदेश दिनांक 04.11.2022 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–29 प्रतिवादी छोगा द्वारा गोमतीदेवी के पक्ष में निष्पादित बेचान दिनांक 02.03.2006, प्रदर्श–30 प्रतिवादी मंगला द्वारा गोमतीदेवी के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा दिनांक 02.03. 2006, प्रदर्श–31 नकल मौजा आसोतरा के खसरा नम्बर 393 व 396 की गिरदावरी,प्रदर्श–32 नकल खसरा नम्बर 393 की गिरदावरी, प्रदर्श–33 नकल खसरा नम्बर 393 व 396 की गिरदावरी, प्रदर्श–34 नकल जमाबंदी खसरा नम्बर 393 व 396 की प्रति,प्रदर्श–35 नकल खसरा नम्बर 892 व 893 की गिरदावरी प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

9. प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 व 10 द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में डी. डब्लू–1 भोपालसिंह व डी.डब्लू–2 मांगीलाल को गवाह के रूप में पेश कर परीक्षित करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

10. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। वक्त बहस अधिवक्ता वादीगण नें निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 08 एक ही कुटुम्ब परिवार के सदस्य है। मुतवफी प्रतापजी के चार पुत्र केसाजी,संवजी, वचनाजी व करना है,जिसके वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 से 08 है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 से 08 के मुतवफी प्रतापजी की खुदकाश्त भूमि ग्राम श्री खेतेश्वर ब्रहमधाम तीर्थ की खेत खसरा संख्या 393 रकबा 06.17

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बीघा व खसरा संख्या 396 रकबा 05 बिस्वा भूमि अवस्थित थी। जिस पर वक्त सेटलमेंन्ट पुर्व से प्रतापजी का कब्जा काश्त था और वक्त सेटलमेंन्ट के समय विवादित भूमि प्रतापजी के नाम दर्ज होने के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियो से सांठ–गांठ एवं मिलिभगत कर अपने नाम भूमि इन्द्राज करवा दी,जबकि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा–काश्त नहीं रहा। वादग्रस्त भूमि पर भू प्रबंध पूर्व से आदिनांक वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन वादग्ररत आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 व 2 नाजायज फायदा उठाते हुए वादीगण की काबिज भूमि से वादीगण को बेदखल करने पर उतारू है,जिसका प्रतिवादी को कोई कानूनी अधिकारी प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त भूमि के संबध में समाज के मौजूद व्यक्तियों के द्वारा कई बार पंचायती हुई,एक बार लिखित आसोतरा धाम के मुख्य महंत भगवान श्री खेताराम महाराज की उपस्थिति में भी दिनांक 20.11.1974 को इस बाबात तथ्य अंकित करते हुए पूर्व एग्रीमेन्ट भी निष्पादित किया था, तत्समय वादग्रस्त आराजी के पूर्व समरी बंदोबस्त के खसरा संख्या 892 थे,उक्त संविदा में भी खसरा संख्या 892 लिखे गये थे,जो खसरा संख्या बाद में मूल बदोबस्त में बदलकर वर्तमान खसरा नम्बर के रूप में दर्ज हो गये थे,जिसमें प्रतिवादी छोगा व मंगला द्वारा स्वीकार किया गया कि वादग्रस्त आराजी में उनके नाम गलत इन्द्राज हुए है। वादग्रस्त आराजी पर उनका कोई हक हकूक नहीं है,वादीगण ही वास्तविक वादग्रस्त आराजी के हकदार है। इसी अनुकरण में बाद में मंगला व छोगा द्वारा पुनः एग्रीमेन्ट दिनांक 02.3.2006 भी निष्पादित किया गया था। उक्त एग्रीमेन्ट के क्रम में प्रतिवादी छोगा द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा की भूमि खर्च पेटे 40,000/–रूपये प्राप्त करना अंकित कर वादीगण की माता गोमतीदेवी के नाम निष्पादित कर पंजीबद्व करवा दी थी एवं प्रतिवादी मंगला ने भी उसी दिन दिनांक 02.3.2006 को अपने 1/2 हिस्से की भूमि पुनः वादीगण की माता गोमतीदेवी के नाम दर्ज करना तय कर पेटे 40,000/–रूपये प्राप्त कर एग्रीमेन्ट निष्पादित कर दिया,किन्तु भूलवंश मंगला द्वारा निष्पादित एग्रीमेन्ट में 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा अंकित हो गया,जो मात्र एक मानवीय भूल है,वास्तव में दोनो भाईयों छोगा व मंगलाजी को 40,000/–40,000/– रूपयें खर्च पेटे देकर भूमि वादीगण के कब्जे व अधिकार को स्वीकार करते हुए गोमीदेवी के नाम बेचान निष्पादित किया गया था,लेकिन बेचान दस्तावेज में रकबा कम अंकन होने का गलत फायदा उठाते हुए प्रतिवादी मंगला द्वारा दौराने विचाराधीन वाद वादग्रस्त आराजी का बेचान प्रतिवादी संख्या 10 भोपालसिंह को किया गया,जो कि ऐसा बेचान शून्य एवं निष्प्रभावी श्रेणी में आता है,क्योंकि प्रतिवादी मंगला को ऐसा बेचान करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इसी शून्य एवं निष्प्रभावी बेचान के आधार पर प्रतिवादी संख्या 10 भोपालसिंह द्वारा वादग्रस्त आराजी में दखलदान्जी करने के प्रयास किए जा रहे है तथा वादीगण को उनके खातेदारी अधिकारों से महरूम रखने के प्रयास भी किए जा रहे है,जबकि वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान एवं प्रदर्शित दस्तावेजात अवलोकन से स्पष्ट साबित है कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी में भू प्रबंध पूर्व से खातेदारी अधिकार निहित है तथा वादीगण का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। अंत में निवेदन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खेत खसरा संख्या 393 रकबा 06.17 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 835/393) भूमि में प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 01 (मंगला) के नाम 1.09 बीघा भूमि की प्रविष्टि विलोपित करते हुए वादी संख्या 2 से 5 के नाम खातेदारी घोषित करवाने एंव खसरा संख्या 396 (वर्तमान खसरा नम्बर 396 व 906/396) रकबा 05 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की प्रविष्टि को विलोपित हुए 1/4 हिस्सा वादी संख्या 1 के नाम, 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 से 5 के नाम व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान के नाम एंव 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के नाम खातेदारी घोषित की जावें तथा प्रतिवादी संख्या 01 (मंगला) के वारिसान के विरूद्ध इस आशंय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वादीगण के हक–हिस्से भूमि में दखलदांजी नहीं करे। अपनी बहस के समर्थन में .2010 ए.आई.आर. (एस.सी.डब्लू.) पेज संख्या 2569,2008 (4) सी.सी.सी. पेज संख्या 728 (राज.) व 2023(2) आर.आर.टी. पेज 902 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किए गए।

11. प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 व 10 अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण का वाद–पत्र मनगढत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य हैं,क्योकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 एक ही कुटुम्ब के सदस्य नही है तथा वादीगण का मौके पर कोई कब्जा रहवास या ढाणी नही है एवं भू–प्रबन्ध अधिकारियों से मिलावट करने के कथन सरासर गलत है। विकल्प में वादीगण या उनके हक पूर्वाधिकारीयों ने ऐसा कोई एतराज सेटलमेट ऑपरेशन के बाद निर्धारित समयावधि में पेश नहीं किया साथ ही वादग्रस्त आराजी खसंरा नम्बर 393 प्रतिवादी संख्या 1 (मंगला) व 02 (छोगा) के निस्फ–निस्फ हिस्से अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से में 3 बीघा 9 बिस्वा और प्रतिवादी संख्या 02 के हक–हिस्से में 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि थी। छोगा ने अपने पूरे 1/2 हिस्से की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को बेचान कर दी शेष 1/2 हिस्से की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 (मंगला) ने 3 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि में से 02 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को जरिए रजिस्ट्री बेचान कर दी,तथाकथित टांके,बाड़े रास्ता प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा खसरा नम्बर 393 की खरीदशुदा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि में स्थित है,जिसमें रास्ता है एवं रास्ते का उपयोग सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 भी करता रहा है। तथाकथित दिनांक 01.02.2006 का कोई ईकरारनामा प्रतिवादी संख्या 1 (मंगला) ने निष्पादित नही किया और न ऐसे किसी ईकरारनामा पर प्रतिवादी संख्या 1 का अंगुष्ठ निशान ही है किसी लिखत दिनांक 20.11.1974 का कोई ज्ञान प्रतिवादी संख्या 1 को नही हैं,यदि ऐसी कोई लिखत या लिखतम होता तो वादीगण अन्दर मयाद उसकी विनिदिष्ट अनुबंध पालना सक्षम सिविल न्यायालय से अवश्य ही करवाते। किसी दूसरी जगह के बिजली कनेक्शन से वादीगण को कोई हक या अधिकार उत्पन्न नही होते है,प्रतापजी का कोई कब्जा ढाणी रहवास वादग्रस्त आराजी प[illegible] और सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलती के कथन पूर्णतया बना[illegible] के द्वारा भू–प्रबन्ध ऑपरेशन के बाद कोई कानूनी चारागाही भी अन्दर मयाद नही की गई। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को भू प्रबंध से आदिनांक वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादीगण की माता गोमतीदेवी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार मानते हुए वादग्रस्त आराजी मे 5.08 बीघा जरिए सप्रतिफल राशि अदा करते हुए जरिए पंजीबद्ध विक्रयपत्र जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

क्रय की गई। इससे स्पष्ट साबित है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी की पुश्तैनी भूमि है,जिसमें वादीगण का कोई हक हकूक पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी मंगला द्वारा अपने हिस्से भूमि में से 2 बीधा भूमि का ही वादीगण की माता गोमतीदेवी को बेचान किया था,सम्पूर्ण हिस्सा बेचान करने की काल्पनिक बाते है,क्योकि बेचान–पत्र में स्पष्ट रकबा अंकन हो रखा है,जिसे क्रेता व विक्रेता द्वारा स्वीकार किया गया है। केवलमात्र मौखिक कथनो से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादीगण द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है,जो कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार प्रदान नहीं की जा सकती है,इस संबध में माननीय न्यायालयों द्वारा भी निर्णय पारित हो रखें है। वादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है,जिससे साबित होता हो कि वक्त सेटलमेंट वादीगण की खातेदारी रही हों,जबकि इसके विपरीत प्रतिवादी पक्ष द्वारा साबित भी किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी की वक्त सेटलमेंट से खातेदारी चली आ रही है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही कुटुम्ब परिवार से नहीं है,वादीगण द्वारा मनगढत तथ्यो के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को परिवार का सदस्य बताया जा रहा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 से 8 की दूरभिसंधि हो रखी है,जो प्रतिवादी संख्या 01 की जमीन को हड़प करना चाहते है,इस कारण वादीगण द्वारा जानबूझकर प्रतिवादी पक्षकार बनाया है। वादीगण की ओर से तथाकथित इकरारनामा दिनांक 01.2.2006 को प्रदर्शित भी नहीं करवाया गया,इससे भी साबित है कि तथाकथित इकरारनामा दिनांक 01.2.2006 हुआ ही नहीं था तथा न ही मंगला द्वारा अंगुष्ठ निशान किए गए थे। उक्त इकरारनामा फर्जी तैयार किया गया था,जिसका प्रतिवादी मंगला से कोई सरोकार नहीं है। वादीगण की ओर से प्रदर्श 06 से 11 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए,लेकिन उक्त दस्तावेज में खसरा नम्बर का अंकन नहीं है। इस प्रकार बिना नम्बर के प्रदर्शित दस्तावेजात से वादीगण राहत प्राप्त नहीं कर सकते है। वादी पक्ष की ओर से गवाहान से जिरह में भी यह कहीं साबित नहीं हो पाया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी भूमि रही हों। इस प्रकार वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 का हक हिस्सा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। केवलमात्र प्रतिवादी संख्या 01 को परेशान करने की नियत से ही वाद पेश किया गया है। अतः वादीगण का वाद–पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2023(2) पेज 902,2017(2)आर. आर.टी.पेज 1102 व 2011(2)आर.आर.टी. पेज 721 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किए गए।

12. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड,दस्तावेज एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। न्यायिक तथा सुसंगत विधिक पहलुओं पर विचार किया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बहस कथनों/तथ्यों एवं [illegible] दस्तावेजात को समाहित करते हुए प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना न्यायसंगत एवं प्रासंगिक है,जो निम्नानुसार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी संख्या 1 व 2</u> :–सुविधा की दृष्टि एवं तथ्यो के दोहराव से बचने के लिए उक्त दोनो तनकीयात का विनिश्चिय एक साथ किया जा रहा है :–

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

<u>तनकी संख्या 01</u> "आया वादीगण राजस्व अभिलेख मौजा खेतेश्वर तीर्थ धाम के खसरा नम्बर 835/393 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाकर वादीगण संख्या 3 से 5 के नाम घोषित करवाने का अधिकारी है

जिम्मे–वादीगण

<u>तनकी संख्या 02</u> "आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 396 रकबा 5 बिस्वा मौजा खेतेश्वर तीर्थ धाम के अभिलेख से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम हटाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के नाम घोषित कराने के अधिकारी है

जिम्मे–वादीगण

उक्त दोनो तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर हैं। वादी साक्ष्य में PW-01 दामोदर सिंह, PW-02 खीमसिंह व PW-03 गुणेशाराम के पूर्व में बयानात् कलमबद्ध हुए थे,मजीद बयानात् में वादी दामोदरसिंह व जीवराजसिंह के बयानात् कलमबद्ध करवाए गए। वादी दामोदरसिंह ने बयानात् में जाहिर किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 एक ही कुटुम्ब परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 से 8 पिढियों से स्थायी निवास बह्मजी मन्दिर के पास स्थित खसरा नम्बर 396 में व प्रतिवादी संख्या–1 का मकान खसरा नम्बर 395 में है जहां अपनी हेसियत के मुताबिक पक्के मकानात वगैरा भी बने हुए है,वक्त सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 396 रकबा 5 बिस्वा सरहद मौजा श्री खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ की गैर मुमकिन ढाणी की भूमि पर स्व प्रतापजी के चारो पुत्र केसाजी, सवजी, वचनाजी व प्रतिवादी संख्या 3 करनाजी के नाम अंकित करना था। जहां उक्त 5 बिस्वा भूमि में चारो भाईयो की ढाणी बनी हुई थी। खेत खसरा नम्बर 393 रकबा 6.17 बीघा सरहद मोजा खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ की भूमि भी स्वं. प्रतापजी के खुदकाश्त की भूमि थी,जो उनके द्वारा अपने परिवारिक बंटवाडा में अपने ज्येष्ठ पुत्र केसाजी के हक हिस्सा में दी गई थी। जिस पर पिछले करीब 53 सालो से ज्यादा समय से निरन्तर केसाजी व उनके देहान्त के बाद उनके चारो पुत्र वादीगण संख्या 2 से 5 व प्रतिवादी संख्य 4 का ही कब्जा काश्त है,परन्तु वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने नाम सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत व मनगढत तोर से नाम अंकित करा दिए। जबकि सेटलमेंट विभाग की गलत का वादीगण को पता चलने पर वादीगण द्वारा अपने परिवारजन से बात करने पर समाज की पंचायती हुई। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि गलती से उनकी खातेदारी में इन्द्राज हुई हैं,उनका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा–काश्त नहीं हैं। ऐसी लिखित दिनांक 20.11.1974 को महापुरूष श्री खेताराम महाराज के रूबरू हुई थी तथा तत्पश्चात् परिवार,समाज के मौजूद व्यक्तियों के रूबरू इकरारनामा दिनांक 01.02.2006 को लिखा गया। वादी पक्ष के गवाहान् खीमसिंह, गुणेशाराम व जीवराज... अपने बयानात् में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 393 व 396 ... वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। खसरा सं... रहवासी ढाणी,मकान इत्यादि बने हुए हैं। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का खसरा संख्या 395 ... रहवासी ढाणीया इत्यादि हैं,लेकिन सेटलमेंट अधिकारीयों की भूलवंश से वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज हो गए। वादी पक्ष गवाहान् से वकील प्रतिवादी द्वारा लम्बी जिरह की गई, लेकिन जिरह में यह साबित नहीं कर पाए कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा–काश्त नहीं हो,जबकि जिरह में

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मजीद बयानात् गवाह दामोदर सिंह ने साबित किया हैं,कि प्रदर्श–16 में नये खसरा संख्या 393 पुराने खसरा संख्या 892 व 893 से बने हैं। इसी प्रकार वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह में साबित करना चाहा कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी भूमि वक्त सेटलमेंट से आदिनांक चली आ रही हैं। वादीगण की माता गोमतीदेवी ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को खातेदार काश्तकार मानते हुए वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 393 में से 1/2 हिस्सा छोगा वल्द फुआ व 1/2 हिस्सा मंगला वल्द फुआ में से रकबा 02 बीघा भूमि सप्रतिफल की राशि अदा करते हुए भूमि अपनी माता गोमतीदेवी के नाम खरीद की गई। वादीगण स्वय जरिए रजिस्ट्री वादग्रस्त आराजी को खरीद करने से स्पष्ट है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के वक्त सेटलमेंट काश्तकार नहीं थे। उक्त बिन्दु को प्रतिवादी पक्ष पूरी तरह साबित नहीं कर पाए हैं,क्योंकि पत्रावली के संलग्न प्रदर्श–13,जिसका हिन्दी रूपान्तरण प्रदर्श–26 A हैं,उक्त लिखित दिनांक 20.11.1974 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वय ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी का मूल खसरा संख्या 892 भूलवंश प्रतिवादी के नाम दर्ज हो रखा हैं,जबकि केसाजी वल्द प्रतापजी का कब्जा–काश्त हैं। जिसमें मंगला व छोगाराम ने वादी के पिता केसा वल्द प्रतापजी के नाम रजिस्ट्री करवाने की सहमति दी गई थी। उक्त लिखित की सहमति में इन्ही पक्षकार के मध्य इकरारनामा दिनांक 01.02.2006 में प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट प्रतिवादी के नाम गलत इन्द्राज हुई हैं। वादग्रस्त आराजी में आपका (वादीगण) कब्जा हैं व आपकी ढाणी,टांके वगैरा बने हुए हैं व बाड़ बनी हुई हैं एंव ढाणी में आपका (वादीगण) निवास हैं,इसमें हमारा कोई हक नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट साबित हेाता है,कि वक्त सेटलमेंट के दौरान राजस्व रेकर्ड़ में वादग्रस्त आराजी वादी पक्ष के नाम दायर होने के बजाय प्रतिवादी मंगला व छोगा के पिता फुआ के नाम गलत इन्द्राज हुई हैं। लिखित दिनांक 20.11.1974 व इकरारनामा दिनांक 01.02.2006 की इबारत को प्रतिवादी पक्ष गलत साबित करने में सफल नहीं हो पाए हैं,क्योंकि इसी इबारत से अपने–आप को पांबद करते हुए वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 393 में से प्रतिवादी छोगा पुत्र फुआजी द्वारा अपना 1/2 हिस्सा वादी की माता गोमतीदेवी पत्नि केसाजी के पक्ष में हक–हिस्सा बेचान रूपये 40,000/– अक्षरे चालीस हजार रूपये मात्र में लेख्यपत्र संख्या 227/02.03.2006 के द्वारा जरिए विक्रय–पत्र पंजीबद्व किया गया,जो कि प्रदर्श–29 अवलोकन से स्पष्ट हैं। इसी प्रकार उसी दिन लेख्य–पत्र संख्या 226/02.03.2006 प्रतिवादी मंगला वल्द फुआजी द्वारा हक–हिस्सा बेचान रूपये 40,000/– अक्षरे चालीस हजार रूपये मात्र के द्वारा 02 बीघा बेचान वादी की माता गोमतीदेवी को किया गया,उक्त बेचान–पत्र के संबंध में वादी पक्ष का तर्क हैं,कि प्रतिवादी मंगला ने अपना [illegible] राशि प्राप्त करते हुए किया था,लेकिन छल–कपट से रजिस्ट्री में 1/2 हि[illegible] के [illegible] 2.00 बीघा भूमि बेचान का हस्तलिखित अंकन किया गया, जिस[illegible] पाया। जबकि इसके विपरीत प्रतिवादी पक्ष का तर्क है कि प्रतिवादी मंगला पुत्र फुआ द्वारा अपने 1/2 हिस्सा अर्थात 3.09 बीघा भूमि में से केवलमात्र 02 बीघा भूमि का बेचान सप्रतिफल राशि प्राप्त कर किया था,न कि सम्पूर्ण भूमि को। उक्त तर्क के संबंध में न्यायालय हाजा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं,क्योंकि वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा छोगा वल्द फुआ व 1/2 हिस्सा मंगला वल्द फुआ का अंकन हैं तथा प्रतिवादी ने लिखित 20.11.1974 व इकरारनामा दिनांक 01.02.2006 में स्वीकार कर रखा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वक्त सेटलमेंट वादगस्त आराजी प्रतिवादी के नाम गलत इन्द्राज हो गई थी। प्रतिवादी छोगा वल्द फुआजी ने अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा प्रतिफल राशि 40,000/–प्राप्त कर बेचान किया। जिसे उप–पंजीयक जसोल द्वारा दिनांक 07.03.2006 को दस्तावेज पंजीबद्ध किया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी मंगला वल्द फुआजी द्वारा उसी दिनांक अर्थात् 02.03.2006 को ही हक–हिस्सा बेचान रूपये 40,000/–अक्षरे चालीस हजार रूपये प्राप्त करते हुए भूमि बेचान की गई,उक्त बेचान–पत्र के पैरा संख्या 04 में मेरा हक 1/2 में से बेचान रकबा 2.00 बीघा हस्तलिखित लिखा हुआ हैं,जो कि सन्देहास्पद प्रतीत होता हैं, क्योकि यदि मान भी लिया जावें कि प्रतिवादी मंगला वल्द फुआ द्वारा 02 बीघा भूमि का बेचान किया हैं,तो प्रतिफल राशि 40,000/–से कम होना स्वाभाविक था,क्योंकि प्रतिवादी छोगा वल्द फुआजी द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 बेचान किया,जिसका प्रतिफल राशि 40,000/– प्राप्त की गई तथा प्रतिवादी मंगला वल्द फुआजी द्वारा अपना 1/2 हिस्से में से 2.00 बीघा भूमि बेचान की गई,जिसकी भी प्रतिफल राशि 40,000/–प्राप्त कि गई,जबकि प्रतिवादी मंगला द्वारा 1/2 हिस्से से भी कम भूमि बेचान करने के उपरांत भी एक समान् 40,000/–राशि प्राप्त करना यह इंगित करता है कि उक्त प्रतिवादी मंगला द्वारा भी सम्पूर्ण हिसा 1/2 बेचान करने की मंशा थी,तभी रजिस्ट्री में राशि प्राप्त करना स्वीकार किया हैं,लेकिन बेचान–पत्र में 02 बीघा भूमि का ही अंकन किया। इससे न्यायालय हाजा को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदर्श–30 में प्रतिवादी मंगला वल्द फुआ की भावना पूरी जमीन अर्थात 1/2 हिस्सा बेचान करने की थी तथा उसी हिस्सेनुसार राशि भी एक ही दिन पेटे 40,000/– प्राप्त की गई,लेकिन विक्रय–पत्र में 02 बीघा भूमि का ही अकंन किया गया। वादी पक्ष यह साबित करने में सफल रहे है कि प्रतिवादी मंगला वल्द फुआ की नियत साफ नहीं थी,इसी प्रकार प्रतिवादी मंगला वल्द फुआ ने दौराने विचारण वाद व स्थगन आदेश होने के उपरांत भी विवादित आराजी रकबा 1.09 बीघा का बेचान प्रतिवादी संख्या 10 (भोपालसिंह) को किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी मंगला को संन्देह था,कि वादग्रस्त आराजी में मेरा हक–हकूक नहीं बनने के कारण वादी पक्ष को न्यायालय हाजा से राहत प्राप्त हो सकती हैं,इस कारण प्रकरण में कानूनी पेचीदगियॉ बढाने के लिए आगे भूमि बेचान कर दी गई। यदि प्रतिवादी मंगला वल्द फुआजी का वास्तविक वादग्रस्त भूमि में हक हकूक होता,तो प्रतिवादी मंगला द्वारा ऐसा बेचान नहीं किया जाता। जबकि बेचान–पत्र की अन्तिम पृष्ठ पर स्थगन आदेश जारी होना का अंकन उप–पंजीयक जसोल द्वारा किया गया था। दौराने विचारण वाद ऐसा बेचान संपति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 से बाधित हैं,जिसका उल्लेख करना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

<u>धारा 52.संपति संबधी वाद के लंबित रहते हुए संपति</u> [illegible]–किसी न्यायालय में वाद या कार्यवाही के लम्बित रहते हुए जो [illegible] कोई अधिकार प्रत्यक्षतःऔर विनिर्दिष्टतःप्रश्नगत हो,वह संपत्ति उस वाद या [illegible]वाही के किसी भी पक्षकार द्वरा उस न्यायालय के प्राधिकार के अधीन और ऐसे निबन्धनों के [illegible],जैसे वह अधिरोपित करे अन्तरित या व्ययनित की जाने के सिवाय ऐस अन्तरित या अन्यथा व्ययनित नहीं की जा सकती कि उसके किसी अन्य पक्षकार के किसी डिक्री आ आदेश के अधीन,जो उसमें दिया जाए,अधिकारों पर प्रभाव पड़ें।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

यहां न्यायालय हाजा यह भी उल्लेख करना उचित समझता है कि प्रदर्श–18 अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति की रिपोर्ट श्री निर्मल खारवाल अधिवक्ता बालोतरा को मौका कमीश्नर नियुक्त कर तलब की गई थी। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 13.06.2009 में स्पष्ट अंकन हो रखा है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 393 में प्रार्थीगण (वादीगण) संख्या 03 से 06 व विप्रार्थी संख्या 04 गोमती देवी का कब्जा काश्त है तथा खसरा संख्या 396 में वादीगण का रहवासीय मकान बने हुए हैं। खसरा संख्या 395 में मंगला, छोगा पिसरान फुआजी का कब्जा–काश्त हैं, जो कि प्रदर्श–19 अवलोकन से स्पष्ट हैं। इससे स्पष्ट साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट अधिकारियों की भूलवंश से प्रतिवादी के नाम इन्द्राज हुई थी,जबकि वास्तविक हक–हकूक वादीगण का ही हैं। जिसे प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने लिखित दिनांक 20.11.1974 व इकरारनामा दिनांक 01.02.2006 में स्वीकार भी किया था तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व–रेकर्ड, दस्तावेजात एवं बयानात् से साबित भी हुआ है कि वादगस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी भूमि हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी पक्ष ने बहस में जाहिर किया था,कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कोई दूर–दूर का रिश्ता–नाता नहीं हैं,उक्त तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं हैं,क्योकि प्रदर्श–27 लेख्य–पत्र संयुक्त खातेदारी भूमि हक–हिस्सा तर्कनामा दिनांक 18.04.1995 के पैरा संख्या 04 में अकंन है कि खसरान् 18 रकबा 42.01 बीघा भूमि में से हमारा संयुक्त हक–हिस्सा खातेदारी हमारा शामलाती हिस्सा 24/96 का हक खातेदारी हकतर्क वादीगण के पिता केसाजी को किया हैं,क्योंकि आप हमारे सह–खातेदार व रिश्ते में भाई बंधु हैं, आपके और हमारे आपसी खून का रिश्ता हैं। इस इबारत से स्पष्ट साबित होता है कि वादी पक्ष व प्रतिवादी पक्ष एक ही कुटुम्ब से होने के कारण ही रजिस्ट्री में अंकित खसरान् की भूमि वादी के पिता केसाजी के पक्ष में हकतर्कनामा के द्वारा लौटाई गई। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट अधिकारियों की गलती से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता फुआजी के नाम इन्द्राज हो गई थी,जिसे वादीगण प्राप्ति के हकदार हैं। हम यहां यह भी उल्लेख करना उचित समझते है कि मौजा आसोतरा के पूर्व सेटलमेन्ट में कायम खसरा नम्बर 892 रकबा 17.11 बीघा भूमि वादीगण के संयुक्त परिवार की होने के साथ ही वादीगण के पूर्वज वादग्रस्त आराजी के मुख्य भोक्ता डोलीदार रहे है एवं उक्त भूमि वादीगण के परिवार को ही पूर्व जागीरदार द्वारा डोली के रूप में दी गई थी,जो वादीगण के पूर्वज केसाराम पुत्र प्रतापजी के स्वामित्व की रही है एवं मूल बन्दोबस्त के [illegible]मय के कायम नवीन खसरा नम्बर 393 रकबा 6.17 बीघा व खसरा नम्बर 396 रकबा 5 बिस्वा भूमि पूर्व बन्दोबस्त के खसरा 892 से सृंजित हुए है। इस सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रदर्श 16 जो मूल बन्दोब[illegible] कायम खसरा बन्दोबस्त है,में नवीन खसरा नम्बर 393 रकबा 6.1[illegible] बीघा, खसरा [illegible] 394 [illegible] 1.18 बीघा, खसरा नम्बर 395 रकबा 4.07 बीघा व खसरा नम्बर 396 रकबा 5 बिस्वा [illegible] मु.ढाणी की सृजन गत भूमाप के खसरा नम्बर 893 से हुआ है। जबकि वादीगण का यह क[illegible] है कि खसरा नम्बर 393 व 396 का सृजन गत (पूर्व) भूमाप के खसरा नम्बर 892 से हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रदर्श 16 के अवलोकन से यह स्थिति प्रकट होती है कि रेकर्ड अनुसार पूर्व खसरा नम्बर 893 से नवीन सृजित खसरा नम्बर 393, 394, 395 व 396 का संयुक्त रकबा 13.07 बीघा है,जो वर्तमान प्रचलित जरीब 165 फीट की चोडाई के खसरे है एवं पूर्व सेटलमेन्ट के खसरा नम्बर 893 रकबा 16.11 बीघा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

छोटी जरीब से 132 फीट गुणा 132 फीट चोडाई का था। जिससे यह स्थापित है कि रि–सेटलमेन्ट के समय खसरा निर्धारण के दौरान उक्त खसरान में मूल खसरा नम्बर 893 के अलावा अन्य खसरान की भूमि भी गलत रूप से समाहित की गई है इससे यह पूर्णतः स्थापित है कि उक्त खसरान का सृजन पूर्व बन्दोबस्त के खसरा संख्या 892 से हुआ जिसका अंकन मूल बंन्दोबस्त के समय कायम खसरा बन्दोबस्त में नही किया जा सका है,जो सेटलमेन्ट अधिकारियों की भूल को दर्शित करता है।

इसके अरिरिक्त प्रदर्श 13,जिसकी हिन्दी रूपान्तरण प्रदर्श–26 दस्तावेजात 30 वर्षो से अधिक पुराना अर्थात 51 वर्ष पूर्व निष्पादित किया गया है,जो **धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के तहत "30 वर्ष पूराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा**–जहां के कोई दस्तावेज जिसकी 30 वर्ष पुरानी होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है। ऐसी किसी अभिरक्षा में से जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है,पेश की गई है,वह न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख मे होना है उस व्यक्ति के हस्तलेख में है और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियो द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित की गई थी। जिसके द्वारा उसका निष्पादन और अनुप्रमाणित होना है।"

ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजात के समग्र अवलोकन से यह स्थापित होता है कि वादग्रस्त आराजी मौजा आसोतरा के खेत खसरा नम्बर 393 रकबा 6.17 बीघा व खसरा नम्बर 396 रकबा 5 बिस्वा भूमि पूर्व खसरा नम्बर 892 रकबा 17.11 बीघा से बना है एवं रि–सेटलमेन्ट अधिकारियों ने गलत रूप से उक्त आराजी खसरा नम्बर 393 व 396 को खसरा नम्बर 893 से बनने का अंकन रि–सेटलमेन्ट के दस्तावेजात में किया,जबकि खसरा नम्बर 893 के क्षेत्रफल से अधिक भूमि के नवीन खसरे दर्ज कर दिये है,जो संभव नही था। ऐसी स्थिति में सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा वक्त मूल सेटलमेन्ट के समय रिकोर्ड के संधारण में की गई त्रुटि को दुरस्त करते हुए वादीगण के हक अधिकार के खसरा नम्बर 892 से रि–सेटलमेन्ट के समय कायम खसरा नम्बर 393 व 396 बनाए जाने की घोषणा की जानी न्यायोचित है। उपरोक्त समग्र विवेचन से तनकी संख्या 1 व 2 को वादीगण अपनी साक्ष्य से बखुबी स्थापित करने में सफल रहे है। इसलिए तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 "आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निशेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

जिम्मे–वादीगण

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर ... चूंकि ... की संख्या 01 व 02 वादीगण साबित करने में सफल रहे हैं। जब ... काश्तकार घोषित होने के हकदार हैं तथा वादी पक्ष गवाहान् से भी साबित हुआ है कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 396 में वादीगण की रहवासी मकान इत्यादि हैं व खसरा संख्या 393 में वादीगण का कब्जा–काश्त हैं। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का रहवासी ढाणी संख्या 395 में हैं। ऐसी सूरत में वादीगण की भूमि में प्रतिवादी पक्ष दखलदान्जी नहीं करे,इस कारण वादी पक्ष स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें के हकदार हैं। वादग्रस्त भूमि का विवाद पक्षकारान् के मध्य विगत 14 वर्षो से भी अधिक समय से चल रहा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हैं। वादग्रस्त भूमि वादी पक्ष की हक–हकूक की होने के उपरांत केवलमात्र सेटलमेंट विभाग की भूल से राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दायर होने मात्र से ही वादीगण को इतने वर्षो तक हक प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा,जबकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व–रेकर्ड दस्तावेजात्, बयानात् इत्यादि से साबित हो चुका हैं कि वादीगण वादग्रस्त भूमि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार हैं। ऐसी सूरत में वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 व प्रतिवादी संख्या 10 कब्जा–काश्त में दखलदान्जी नहीं करें, इस बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना विधि–सम्मत है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी पक्ष किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करें, इस आंशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित हैं। उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती हैं।

तनकी संख्या 4 "आया वाद–पत्र वादी भू–प्रबंन्ध ऑपरेशन के पश्चात निर्धारित अवधि में पेश नही होने से अन्दर मयाद नही है?

जिम्मे–प्रतिवादी

उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी पक्ष पर हैं। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी सख्यां 1 ने अपने जवाबदावा में यह उल्लेखित किया है कि विकल्प में वादीगण या उनके हक पूर्वाधिकारी ने ऐसा कोई एतराज सेटलमेन्ट ऑपरेशन के बाद निर्धारित समयवधि में पेश नहीं किया है,किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं 10 ने उक्त तनकी को अपने साक्ष्य से स्थापित करने कोई प्रयास नही किया एवं अपने गवाह डी.डब्लू–1 भोपालसिंह व डी.डब्लू–2 मांगीलाल के बयानो में उक्त तनकी के सम्बन्ध में कोई कथन नही किया है। वादीगण ने अपनी साक्ष्य में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर प्रथमतः वादीगण ने मौजिज व्यक्तियो में पंचायती दिनांक 20.04.1974 को खेतारामजी महाराज के रूबरू किया तब प्रतिवादी मंगला व छोगा ने खसरा नम्बर 892 में वादीगण का कब्जा व रहवास होना स्वीकार कर उक्त आराजी वादीगण के पूर्वज केसाराम को देना तय किया था। जिसके क्रम में प्रतिवादी छोगा ने दिनांक 01.02.2006 को एग्रीमेन्ट लिखकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 393 पर वादीगण पूर्वज केसाराम का हक, कब्जा व सेटलमेन्ट उक्त भूमि गलत इन्द्राज से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम होना स्वीकार किया है एवं इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मोजीज़ व्यक्तियों की समझाईश के क्रम में खसरा नम्बर 393 की भूमि गोमतीदेवी के नाम प्रदर्श–29 व 30 से रजिस्ट्री करवाई,किन्तु प्रतिवादी मंगला ने 1/2 हिस्से में से 2 बीघा भूमि का ही निष्पादन गलत अंकन करवाया तब वादीगण द्वारा [illegible] प्रस्तुत [illegible]। इससे यह स्थापित है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी में अपने हक व अधिकारों [illegible] मांग [illegible] लगातार प्रयासरत रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत [illegible] अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में क्रम संख्या 5 पर धारा 88 के वाद हेतु परिसीमा की अवधि कोई नही है न ही उक्त अवधि का कोई आरंभ बताया गया है। ऐसी स्थिति में स्थापित रूप से वादीगण सेटलमेन्ट में हुए गलत अंकन को जानकारी होने पर दुरस्त करवाने का वाद कर सकते है। इसलिए उक्त तनकी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर न्यायालय बालोतरा

प्रतिवादी साबित नहीं कर पाये है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 4 प्रतिवादी पक्ष साबित नहीं कर पाने के कारण उनके विरूद्ध निर्णीत की जाती हैं।

<u>तनकी संख्या 5 से 9–</u>सुविधा की दृष्टि एवं तथ्यो के दोहराव से बचने के लिए तनकी संख्या 5 से 9 का विवेचन एक साथ किया जा रहा है।

<u>तनकी संख्या 05:–</u>आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किये गये बेचानों से भिन्न अन्य कोई कथन करने से विबन्धित है?

जिम्मे–प्रतिवादी

<u>तनकी संख्या 06:–</u>आया तथाकथित बिना तारीख का बंटवाड़ा भूमिधारक की लिखित सहमति के बिना शून्य है?

जिम्मे–प्रतिवादी

<u>तनकी संख्या 07:–</u>आया समुचित वादकरण गठित होने के तथ्यों के अभाव में वादपत्र वादीगण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में रिजेक्ट करने योग्य है ?

जिम्म–प्रतिवादी

<u>तनकी संख्या 08:–</u>आया तथाकथित इकरारनामा दिनांक 01.02.2006 साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य नहीं है और न किसी भी उददेश्य के लिखा पढ़ा जा सकता है ?

जिम्मे–प्रतिवादी

<u>तनकी संख्या 09:–</u> आया तथाकथित अपंजीकृत इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित नहीं है?

जिम्मे–प्रतिवादी

उक्त तनकी संख्या 5 से 9 को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर है। प्रतिवादी संख्या 1,2 व 10 द्वारा अपने जवाबदावा में उक्त आपतियों का अंकन अवश्य किया गया है,किन्तु उक्त तनकीयात साबित करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 10 ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवाये गये है और न ही प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाह डी.डब्लू–1 भोपालसिंह व डी.डब्लू–2 मांगीलाल ने अपने शपथ–पत्रो में उक्त तनकीयात को स्थापित करने हेतु कोई साक्ष्य प्रकट किये है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी उक्त तनकीयात को सन्देह से परे स्थापित करने में पूर्णतया असफल रहे है। फिर भी तनकी संख्या 7 जो वाद कारण के सम्बन्ध इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वाद–पत्र के पद संख्या 10 में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 05.06.2009 को खसरा नम्बर 396 से बेदखल व दिनांक 07.06.2009 को खसरा नम्बर 393 में रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्रो [illegible] वाद कारण पैदा हुआ, साथ ही वाद–पत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा [illegible] अवलोकन से यह स्थापित है कि वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नम्बर 393 व 396 [illegible] काबिज काश्त व रहवास की भूमि रही हैं,जो सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा वक्त सेटलमेन्ट गलत [illegible] से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता फुसा उर्फ फुआ के नाम दर्ज कर दी गई थी, जिससे वादीगण अपनी खातेदारी भूमि घोषित करवाने हेतु वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी रहे हैं,ऐसी स्थिति में वादीगण के पास पर्याप्त वाद हेतुक रहा है। साथ ही वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में जाहिर किया था,कि वादी का वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की मांग की गई है तथा प्रतिकूल कब्जे के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं,क्योंकि वादीगण का मूलवाद हेतुक वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी बताते हुए वक्त सेटलमेंट से वादी पक्ष के पूर्वज केसाजी एवं बाद में वादीगण का कब्जा–काश्त होना एवं सेटलमेंट विभाग की गई त्रुटि को दुरस्त करवाने हेतु वाद लाया गया हैं,जो कि वादी पक्ष ने अपने साक्ष्य सबूतो से बखूबी साबित भी किया हैं। ऐसी सूरत में RRT 2011(2) पृष्ठ 721, RRT 2017(2) व RRT 2023(2) हस्तगत प्रकरण की प्रवृति पर चस्पा नहीं होते हैं। साथ ही प्रतिवादी गवाह में मांगीलाल से वकील वादीगण द्वारा जिरह की गई,जिसमें उक्त गवाह द्वारा विरोधाभासी बयान दिए हैं,जो कि उनकी विश्वसनीयता पर संन्देह प्रकट करता हैं। तनकी संख्या 6, 8 व 9 मूलतः एक ही आशय से सम्बन्धित है अर्थात अपंजीकृत ईकरारनामा साक्ष्य में ग्रहण योग्य नही है एवं उस पर प्रतिवादी मंगला के हस्ताक्षर नही है। इस सम्बन्ध में पत्रावली में प्रस्तुत छायाप्रति ईकरारनामा दिनांक 01.02.2006 अवलोकन किया गया उक्त ईकरारनामा प्रतिवादी छोगाराम द्वारा निष्पादित हैं। जिस पर छोगाराम सहित आसोतरा गांव के मोजीज व्यक्तियों के हस्ताक्षर है,स्वंय छोगा ने उक्त ईकरारनामा दिनांक 01.02.2006 में यह उल्लेखित किया है कि खसरा 393 की भूमि वादीगण के पूर्वज केसाराम के हक–अधिकार व कब्जे की भूमि है जो सेटलमेन्ट अधिकारी के गलत रिकोर्ड संधारण से प्रतिवादी के पिता फुसाराम के नाम दर्ज हो गई थी। उक्त ईकरारनामा अपंजीकृत है,इस्स सम्बन्ध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त–2010 ए.आई.आर. (एस.सी.डब्लू) पेज संख्या 2569 अनवान एस कालादेवी बनाम आर. सोमा सुन्दरम में माननीय उच्चतन न्यायालय में यह अवधारित किया है कि "जहा वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। वहा ईकरारनामा "Collateral Purpose के लिए साक्ष्य ग्राहय है,साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त 2008 (4) सी.सी.सी. पेज नम्बर 728 अनवान मूना बनाम ओमप्रकाश में यह अवधारित किया है कि Unregistered and insufficiently stamped document con be admitted in evidence for collateral purpose of nature of possession" प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रदर्श 13 समझोता–पत्र जो दिनांक 20.11.1974 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा निष्पादित किया गया था एवं ईकरारनामा दिनांक 01.02.2006 जो प्रतिवादी संख्या 2 छोगा द्वारा मौजीज व्यक्तियों की उपस्थिति में निष्पादित किया गया है,जिसके क्रम में ही पंजीबद्ध दस्तावेज प्रदर्श 29 व 30 का निष्पादन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किया गया है। साथ ही उक्त प्रकरण राजस्व प्रकरण है,जिसमें सिविल विधि को ज्यादा बल नही दिया जाकर दस्तावेजी साक्ष्य जो प्रर्दशित हो तो उसके आधार पर एवं ऐसे दस्तावेजात जो प्रदर्शित नहीं हो पाए,परन्तु महत्वपूर्ण हो उनसे प्रकाश लेकर न्याय करने की अधिकारिता राजस्व [illegible] राजस्व न्यायालय को दी गई है। ऐसी स्थिति में वादीगण को [illegible] उक्त प्रकरण में न्यायिक आवश्यक्ताओं की पूर्ति हेंतु पढा जाकर उनसे सहयोग प्राप्त [illegible] गया है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत यह साबित हो चुका है कि तनकी संख्या 05 से 9 [illegible] प्रतिवादी साबित करने में सफल नहीं हो पाए है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 5 से 09 प्रतिवादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 10 –अन्य दादरसी ? उक्त तनकी पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है,क्योंकि पक्षकार इस्तदुआ से अतिरिक्त परिलाभ प्राप्त करना साबित नहीं कर पाए है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

अनुतोषः–उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण वाद–पत्र में कायम तनकी संख्या 01 से 03 को साबित करने में बखूबी सफल रहे है तथा प्रतिवादी तनकी संख्या 04 से 09 को साबित करने में सफल नहीं हो पाए है। अतः वादीगण के वाद–पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खेतेश्वर ब्रह्मधाम पटवार हल्का आसोतरा तहसील पचपदरा के खेत खसरा नम्बर 396 (वर्तमान खसरा नम्बर 906/396) रकबा 5 बिस्वा (0.0316 हैक्टयर) भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान के नाम अंकित प्रविष्टि विलोपित करते हुए वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का संयुक्त रूप से 1/4 खातेदारी घोषित किया जाता हैं तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 835/393 रकबा 1.09 बीघा (0.3667 हैक्टयर) भूमि में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1(मंगला) की गलत प्रविष्टि को विलोपित करते हुए उक्त प्रतिवादी मंगला द्वारा प्रतिवादी संख्या 10 (भोपालसिंह) को किए गए बेचान को शून्य एवं अप्रभावी धोषित करते हुए वादग्रस्त भूमि वादी संख्या 2 से 5 की संयुक्त खातेदारी में घोषित की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान एवं प्रतिवादी संख्या 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी नहीं करें। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। डिकी पर्चा जारी हों।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 06·09·2024 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 102/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/290

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.रतनसिंह पुत्र वचनाजी 2.शंकरसिंह पुत्र केसाजी 3. भंवरसिंह पुत्र केसाजी 4. दामोदरसिंह पुत्र केसाजी 5. बाबूसिंह पुत्र केसाजी जाति पुरोहित निवासी–खेतेश्वर,ब्रह्मधाम तीर्थ, आसोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.मंगला पुत्र फुआ के वारिसान् 1/1. सीतादेवी बेवा मंगला 1/2. मांगीलाल पुत्र मंगला 1/3. पुखराज पुत्र मंगला 1/4.गौतम पुत्र मंगला 1/5. चंदनसिंह पुत्र मंगला जाति पुरोहित निवासी खेतेश्वर, ब्रह्मधाम तीर्थ,आसोतरा 2.छोगा पुत्र फुआ जाति पुरोहित 3.करना पुत्र प्रतापजी के वारिसान् 3/1.पार्वतिदेवी बेवा करनाजी 3/2.जबरसिंह पुत्र करनाजी,जाति पुरोहित निवासी खेतेश्वर, ब्रह्मधाम तीर्थ, आसोतरा 3/3.हविया पुत्री करनाजी पत्नि लालसिंह जाति पुरोहित निवासी गुड़ानाल तहसील सिवाना जिला बालोतरा 3/4.शायरों पुत्री करनाजी पत्नि वगतावरसिंह जाति पुरोहित निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा 3/5.चंदा पुत्री करनाजी पत्नि हनुमानसिंह जाति पुरोहित निवासी जागसा तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा 4.गोमती पुत्री सवजी बेवा केसाजी पुरोहित (फौत विलोपित नाम) 5.वगताजी पुत्र सवजी 6.कानसिंह पुत्र सवजी 7.अर्जुनसिंह पुत्र सवजी 8.बादली बेवा सवजी जाति पुरोहित निवासी खेतेश्वर, ब्रह्मधाम तीर्थ, आसोतरा (फौत विलोपित नाम) 9.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 10.[illegible] सिंह जाति [illegible] निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद बाबत:–88,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर 102/2023
निर्णय दिनांक :– 06·09·2024

वादीगण की ओर से श्री सुनील के.मेराजा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 व प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 3 एवं 5 से 7 एकतरफा एवं प्रतिवादी संख्या 09 अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 06.9.2024 को श्री राजेश कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खेतेश्वर ब्रह्मधाम पटवार हल्का आसोतरा तहसील पचपदरा के खेत खंसरा नम्बर 396 (वर्तमान खसरा नम्बर 906/396) रकबा 5 बिस्वा (0.0316 हैक्टयर) भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान के नाम अंकित प्रविष्टि विलोपित करते हुए वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा,वादी संख्या 2 से 5 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का संयुक्त रूप से 1/4 खातेदारी घोषित किया जाता हैं तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 835/393 रकबा 1.09 बीघा (0.3667 हैक्टयर) भूमि में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1(मंगला) की गलत प्रविष्टि को विलोपित करते हुए उक्त प्रतिवादी मंगला द्वारा प्रतिवादी संख्या 10 (भोपालसिंह) को किए गए बेचान को शून्य एवं अप्रभावी घोषित करते हुए वादग्रस्त भूमि वादी संख्या 02 से 5 की संयुक्त खातेदारी में घोषित की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान एवं प्रतिवादी संख्या 10 को स्थाई निषेघाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी नहीं करें। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे।

यह आज तारीख 06.9.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया –	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अ[illegible] स्टाम्प 3.प्[illegible] की 4.साक्षियों [illegible] निर्वाह व्यय 5.आदेशि[illegible] तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया ------
जोड़	–	जोड़	-----

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:36:18 IST
Reason: SelfAttested